न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1393–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–4–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा अपील प्रकरण क्रमांक 386/अपील/03–04.

.....

1 मुन्ना यादव तनय स्व0 श्री ददन प्रसाद यादव उम्र 45 वर्ष
2 काशी यादव तनय स्व0 श्री ददन प्रसाद यादव उम्र 45 वर्ष
3 सुनीता यादव पत्नी स्व0 श्री सुग्रीव यादव उम्र 50 वर्ष
4 सुनील यादव तनय स्व0 श्री सुग्रीव यादव उम्र 22 वर्ष
सभी निवासी ग्राम ढेकहा तहसील हुजूर जिला रीवा म0 प्र0
5 रामलाल तनय स्व0 श्री परमेश्वरदीन
6 बब्बू पिता स्व0 श्री परमेश्वरदीन निवासी ग्राम ढेकहा तहसील हुजूर जिला रीवा मध्य प्रदेश ।

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 त्रिवेणी प्रसाद तनय स्व0 श्री गंगा प्रसाद अहिर,
निवासी ग्राम रामनई तहसील रायपुर कर्चुलियान
जिला रीवा म0 प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री एस0 एन0 द्विवेदी अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 29.9.15 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, रीवा संभाग के द्वारा उनके प्र.क्रमांक–386/अपील/03–04 में पारित आदेश दिनांक–03.04.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि विवादित आराजी खसरा क्रमांक–161, 162, 163 कुल रकवा 3.82 एकड़ ग्राम रामनई तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा,स्थित आवेदक क्रमांक–5 एवं 6 के पिता स्व. श्री परमेश्वरदीन एवं अनावेदक के पिता स्व. श्री गंगा प्रसाद अहिर निवासी रामनई तहसील रायपुर कर्चुलियान द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक–18.08.1962 में बराबर–बराबर हिस्सा क्रय किया गया जिसके दोनों ही क्रेतागण 1/2 के हिस्सेदार थे । आवेदक क्रमांक–5 एवं 6 के पिता स्व. श्री परमेश्वर दीन द्वारा अपने हिस्से की उक्त विवादित भूमि के 1/2 हिस्से में से 0.96 एकड़ भूमि स्व. गंगा प्रसाद को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक–05. 12.1977 को विक्रय कर दी । इसके बाद स्व. परमेश्वर दीन के हिस्से में 0.95 एकड़ भूमि शेष बची जिसे अनावेदक क्रमांक–5 व 6 (जो उन्हें उनके पिता परमेश्वर दीन की मृत्यु के बाद वारिसान के रूप में प्राप्त हुई थी) द्वारा अपनी सहमति से ददन प्रसाद के नाम नामांतरित करा दिया गया । उक्त 0.95 एकड़ भूमि के वे भूमि स्वामी थें । आवेदक क्रमांक– 5 व 6 की सहमति से ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक–40 आदेश दिनांक–05.04.2001 के द्वारा ददन प्रसाद के नाम नामांतरण प्रमाणित किया गया । ग्राम पंचायत रामनई विकास खण्ड रायपुर कर्चुलियान के उक्त नामांतरण आदेश दिनांक–05.04.2001 के विरूद्ध अनावेदक त्रिवेणी प्रसाद द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी । जहां अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक– 23/ अ–6/2002 – 2003 में पारित आदेश दिनांक–12.04.2004 से ग्राम पंचायत की पंजी क्रमांक–40 पर पारित नामांतरण आदेश दिनांक–05.04.2001 को निरस्त कर दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक–12. 04.2004 से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अपर आयुक्त द्वारा अपने अपील प्रकरण क्रमांक–386/अपील/03–04 में पारित आदेश दिनांक–03.04.2014 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखते हुए अपील अस्वीकार कर निरस्त की गयी । अपर आयुक्त के इसी आदेश दिनांक–03/04/2004 से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।

3/ उक्त संबंध में आवेदक अभिभाषक के तर्क, श्रवण किए गये । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि–विवादित भूमि सर्वे कमांक–161, 162,163 कुल रकवा 3.82 एकड़ स्व. परमेश्वरदीन एवं स्व. गंगा प्रसाद जो आवेदक कमांक–5 एवं 6 तथा अनावेदक कमांक–1 के पिता थे, के द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक–18.08.1962 के माध्यम से कय किया गया था जिसमें उक्त दोनों केताओं का बराबर–बराबर का हिस्सा था । परमेश्वर दीन द्वारा उक्त भूमि रकवा 3.82 एकड़ में से अपना 1/2 हिस्सा यानी (1.91 एकड़) में से 0.96 एकड़ अपने सहखातेदार स्व. श्री गंगा प्रसाद जो अनावेदक के पिता थे को रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक–05. 12.1977 से विकय कर दी । अब परमेश्वर दीन के नाम उनके हिस्से की मात्र 0.95 एकड़ भूमि जो शेष बची उसे परमेश्वरदीन के सगे भाई ददन प्रसाद जो आवेदक कमांक–5 व 6 के चाचा थे, के नाम अपनी लिखित सहमति देकर ग्राम पंचायत रामनई विकास खण्ड रायपुर कर्चुलियान की नामांतरण पंजी कमांक–40 आदेश दिनांक–05.04.2001 से नामांतरित करा दी गयी । आवेदक अभिभाषक द्वारा यह भी कहा गया कि निष्कर्ष निकालते समय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर कतई ध्यान नहीं दिया गया कि नामांतरण पंजी में किया गया नामांतरण गंगा प्रसाद के भूमि स्वामित्व की भूमि से संबंधित नहीं था । उक्त ददन प्रसाद के नाम किया गया नामांतरण परमेश्वर दीन के भूमि स्वामित्व की भूमि से संबंधित था, जो परमेश्वरदीन के हिस्से की भूमि थी जिसे नामांतरित कराने के लिए परमेश्वरदीन के उत्तराधिकारियों की सहमति की आवश्यकता थी न कि अनावेदक की सहमति की, क्योंकि अनावेदक के हिस्से की भूमि का नामांतरण पंचायत द्वारा नहीं किया गया है । आवेदक अभिभाषक द्वारा यह भी बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय (अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त) द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन नहीं किया गया और न ही विकयपत्रों का जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है का गहनता से अवलोकन किया गया, बल्कि बिना न्यायिक जिम्मेदारी के सरसरी तौर पर आदेश पारित किया गया है । आवेदक अभि0 द्वारा यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि नामांतरण विवादित था जिसमें ग्राम पंचायत को नामांतरण करने का अधिकार नहीं था, किन्तु निष्कर्ष निकालते समय इस बिन्दु पर कतई विचार नहीं किया गया कि रिकार्डेड भूमिस्वामी परमेश्वरदीन थे जो अब मृत हो चुके है के वारिसों द्वारा जो आवेदक कमांक–5 व 6 हैं, अपने पिता के स्वत्व स्वामित्व के हिस्से की भूमि का अपने चाचा ददन प्रसाद के नाम नामांतरण करने की सहमति दी गयी है जो अभिलेख से प्रमाणित है । अनावेदक के पिता एवं उसका उक्त नामांतरित भूमि के रकवे पर कोई स्वत्व व आधिपत्य नहीं है । यह भी बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि "गंगा प्रसाद द्वारा परमेश्वरदीन अहिर से पंजीकृत विकय विलेख

द्वारा भूमि क्रय की गयी थी, जिसके अनुसार भूमि का गंगा के नाम नामांतरण हुआ था गंगा की मौत के बाद अनावेदक भूमि के भूमि स्वामी हुए ऐसी स्थिति में अनावेदकों की बिना सहमति के नामांतरण सरपंच द्वारा किया गया है जो अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष मनमाना एवं न्याय का उपहास करने के समान है । क्योंकि यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में वर्णित विक्रय पत्रों का सघन एवं गहराई से परिशीलन किया गया होता तो यह स्थिति स्पष्ट हो जाती कि विवादित भूमि गंगा प्रसाद एवं परमेश्वरदीन द्वारा बराबर – बराबर क्रय की गयी थी जिसका कुल रकवा 3.82 एकड़ था जिसमें से 1/2 हिस्सा (1.91 एकड) भूमि गंगा प्रसाद की तथा 1/2 हिस्सा (1.91 एकड) भूमि परमेश्वरदीन की थी । परमेश्वरदीन द्वारा अपने हिस्से की भूमि में से 0.96 एकड़ भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से गंगा प्रसाद को विक्रय पत्र दिनांक–05.12.1977 को विक्रय कर दी । इसके बाद परमेश्वर दीन के हिस्से की उनके नाम 0.95 एकड़ भूमि शेष बची जिसे परमेश्वरदीन के वारिसों आवेदक क्रमांक–5 व 6 द्वारा अपनी सहमति देकर ददन प्रसाद के नाम नामांतरण करा दिया गया । जो सही एवं उचित था उपरोक्त दर्शित स्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष विधिविरूद्ध एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने से निरस्त करने का निवेदन किया गया है ।

4/ प्रकरण में आवेदक अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत तर्को के अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि आवेदक क्रमांक 5 व 6 के पिता स्व. परमेश्वरदीन एवं अनावेदक के पिता स्व. गंगा प्रसाद द्वारा विवादित भूमि क्रमांक–161, 162, 163 कुल रकवा 3.82 एकड़ (पुराने सर्वे क्रमांक–115, 116, 117 कुल रकवा 3.82 एकड़) रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक–18.08.1962 के द्वारा क्रय की गयी थी, जिसमें दोनों क्रेताओं का 1/2 का बराबर बराबर यानी (1.91 एकड) एवं (1.91 एकड) का हिस्सा था । स्व. परमेश्वरदीन द्वारा अपने हिस्से की 1.91 एकड़ भूमि में से अंश रकवा 0.96 एकड़ भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक–05.12.1977 से स्व. गंगा प्रसाद को विक्रय कर दी गयी । इस रकबे को विक्रय करने के बाद भी परमेश्वरदीन के पास 0.95 एकड़ भूमि शेष थी, जिसके परमेश्वरदीन भूमि स्वामी थें, जिसे परमेश्वरदीन के उत्तराधिकारी आवेदक क्रमांक–5 व 6 द्वारा अपनी सहमति से ददन प्रसाद के नाम पंचायत में नामांतरण की विधिवत कार्यवाही कराकर नामांतरण कराया जाना प्रदर्शित हो रहा है । उक्त तथ्यों की पुष्टि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील मेमों में अंकित तथ्यों तथा प्रकरण के संलग्न विक्रयविलेखों से भी हो रही है ।

5/ उपरोक्त अभिलेखीय तथ्यों के प्रकम में मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान के द्वारा पारित आदेश दिनांक–12.04.2004 का अवलोकन किया गया जिसमें उनके द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि *"वादग्रस्त भूमि को पंजीकृत विकय विलेख के द्वारा दिनांक–18.08.1962 को अपीलांट कमांक–1 के पिता एवं कमांक–2 (जो इस निगरानी में अनावेदक है) के पति गंगा प्रसाद द्वारा परमेश्वरदीन से खरीदा गया था उसी आधार पर गंगा प्रसाद अहीर के नाम नामांतरण हो गया । गंगा प्रसाद अहिर विवादित भूमि के भूमि स्वामी थे । गंगा प्रसाद के मरने के बाद विवादित भूमि के अपीलांट (इस प्रकरण में अनावेदक) वारिस होने के कारण भूमि स्वामी हुए । इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा भूमि स्वामी की बिना सहमति के भूमि स्वामी व हितबद्ध पक्षकारों को बिना सुने ही एवं बिना सूचित किए ही अवैधानिक एवं अधिकारिता रहित आदेश पारित कर दिया गया सरपंच को इस तरह के आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं है"* । जबकि वास्तविकता यह है कि विवादित भूमि को वर्ष 1962 में अकेले गंगा प्रसाद ने नहीं बल्कि गंगा प्रसाद एवं परमेश्वरदीन दोनों ने मिल कर बराबर बराबर खरीदी थी इस प्रकार विकय पत्र की मंशा को ही दूषित कर दिया गया जो इस प्रकरण में महत्वपूर्ण निर्णायक अभिलेख है । उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर ग्राम पंचायत रामनई के नामांतरण पंजी कमांक–40 दिनांक–05.04.2001 पर किए गये नामांतरण आदेश को एसडीओ द्वारा अपने आदेश दिनांक–12.04.2004 से निरस्त कर दिया गया, अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश की पुष्टि करते हुए अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा भी अपने आदेश दिनांक–03.04.2014 से अपील खारिज की गयी। यह निर्णय निश्चित ही न्यायिक शिथिलता का प्रतीक है । दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय लेने में घोर उदासीनता का परिचय दिया है जिसके कारण न्याय विफल हुआ है ।

6/ इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा जारी आदेश से यह स्पष्ट है कि उक्त दोनों अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अपनी न्यायिक जिम्मेदारी से बचते हुए मनमानी एवं स्वेच्छाचारी पूर्ण कार्यवाही करते हुए सरसरी तौर पर निर्णय लिया गया है । उचित होता कि वे प्रकरण में वर्णित सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों का तथा उससे संबंधित अभिलेखों का गहन परीक्षण कर निर्णय पारित कर न्यायालय की गरिमा के अनुरूप अपनी न्यायिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते किन्तु अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेशों में इसका अभाव पाया जा रहा है । अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि को स्व. गंगा प्रसाद एवं स्व. परमेश्वरदीन द्वारा मिल कर खरीदा गया था, जिसके दोनो केता बराबर के हिस्सेदार यानी कुल रकवा 3.82 एकड़ में से 1.91 एकड़ एवं 1.91 एकड़ के दोनों हिस्सेदार थे । इसी 1.

91 एकड़ में से अंश रकबा 0.96 एकड़ गंगा प्रसाद को परमेश्वरदीन द्वारा दिनांक 05.12.1977 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर दिया था, इस प्रकार अनावेदक विवादित भूमि में 2.86 एकड़ भूमि का भूमि स्वामी हुआ जो अभिलेख से भी प्रमाणित है । इसके बाद मुताबिक अभिलेख परमेश्वर दीन के पास 0.95 एकड़ भूमि शेष बची थी, जिसे परमेश्वरदीन के वारिसों द्वारा परमेश्वर दीन के छोटे भाई तथा आवेदक गण 5 व 6 के चाचा ददन के नाम नामांतरण अपनी सहमति पंचायत के समक्ष देकर कराया था । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में अनावेदक का यह कहना कि वह विवादित भूमि का भूमि स्वामी होकर हितबद्ध पक्षकार था उसे सुना नहीं गया, तो यह तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि आवेदक क्रमांक–5 व 6 जो रिकार्डेड भूमि स्वामी परमेश्वरदीन के वारिस हैं, के द्वारा अपने वैध हक के अंश का अपने सगे चाचा ददन प्रसाद के हक में हक त्याग करते हुए नामांतरण कराया है,उपरोक्त नामांतरण से अनावेदक के हितों पर अनुचित रूप से कोई प्रभाव पड़ा हो, ऐसा परिलक्षित नहीं हो रहा है । यह बात सही है कि वह विवादित भूमि में सहखातेदार था, किन्तु आवेदक क्रमांक–5 व 6 द्वारा अपने पिता से अर्जित वैध हक के अंश का ही नामांतरण अपने चाचा ददन प्रसाद के नाम कराया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता प्रतीत नहीं हो रही है। उपरोक्त वर्णित परिस्थतियों से यह स्पष्ट हो रहा है कि नामांतरण की संपूर्ण विवादित कार्यवाही में अनावेदक का कोई हित प्रभावित होना प्रमाणित नहीं हो रहा है तथा उसके हिस्से के रकबे का नामांतरण होना भी प्रमाणित नहीं हो रहा है ।

7/ उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये निष्कर्ष प्रकरण में विद्यमान तथ्यों एवं अभिलेखों के विपरीत होने से सहज न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है, जो न्याय को बिफल कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान का आदेश दिनांक–12.04.2004 एवं अपर आयुक्त का आदेश दिनांक– 03.04.2014 स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किये जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है । पक्षकार सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापिस हो । प्रकरण रिकार्ड दाखिल हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर